राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)

टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stplsg407@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः प.8(ड) ( )स.ग. जालोर/2020 1774 दिनांक :– 22/6/20

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 (5) में यह प्रावधान है कि नगर पालिका द्वारा धारा 55 में विहित समितियां नगर पालिका के गठन के नब्बे दिवस के भीतर गठित की जावेगी, जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार, ऐसे समय के भीतर जो उसके द्वारा नियत किया जाये, नगर पालिका को ऐसी समितियां गठित करने के निर्देश दे सकेगी और इस उप–धारा के अधीन राज्य सरकार के निर्देश नगर पालिका पर बाध्यकारी होंगे।

राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय नगरीय निकायों द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अन्तर्गत समितियों का गठन आदिनांक तक नहीं किया गया है। अतः जिन नगरीय निकायों द्वारा समितियों का गठन नहीं किया है, उन्हें एतदद्वारा आदेशित किया जाता है कि अविलम्ब समितियों के गठन का प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करावें।

(उज्जवल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :– 22/6/20

क्रमांक : प.8(ड) ( )स.ग. जालोर/2020 1775–1003

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
4. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करे।
5. आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका समस्त।
6. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. System Analyst cum Joint Director. DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है, कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned with CamScanner